

मनरेगा जॉब कार्डों को नरिस्त किया जाना

प्रलिस के लयल:

मनरेगा, मनरेगा योजना, नगर नगल, प्रबंधन सूचना प्रणाली, आधार-आधारतल भुगतान प्रणाली, काम करने का कानूनी अधिकार, बेरोज़गारी, ग्राम पंचायत, बेरोज़गारी भतता ।

मुख्य परीक्षा के लयल:

गरीबी, सरकारी नीतयलँ और हस्तक्षेप, वकलस से संबधतल मुददे, मनरेगा और संबधतल मुददे ।

स्रोत: द हदु

चर्चा में कयलँ?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनलयल, 2005 (मनरेगा) के अंतरगत जॉब कार्डों से शर्मकलँ के नाम वलयपतल कयल जाने की हाललयल वृद्धलने काम के अधिकार और कारयानवयन में पारदरशतल को लेकर गंभीर चतलएँ उत्पन्न कर दी हैं ।

- अकेले वर्ष 2022-23 में 5.53 करोड से अधकल शर्मकलँ को हटा दयल गया, जो वर्ष 2021-22 से 247% की वृद्धलदरशतल है ।

मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के लयल मुख्य प्रावधान कयल हैं?

- वलयपन के आधार:** मनरेगा अधनलयल, 2005 की अनुसूची II, पैराग्राफ 23 के अनुसार, जॉब कार्ड को केवल वशलषलट, सुपरभलषतल शरतों के तहत ही हटायल जा सकतल है:
 - स्थायी प्रवास: यदल कोई परवार संबधतल **ग्राम पंचायत** से स्थायी रूप से स्थानांतरतल हो जालतल है ।
 - डुपलीकेट जॉब कार्ड: यदल कोई जॉब कार्ड **डुपलीकेट** पायल जालतल है ।
 - जाली दस्तावेज़: यदल जॉब कार्ड **जाली दस्तावेज़ों** के आधार पर जारल कयल गया हो ।
 - क्षेत्र का पुनरवर्गीकरण: यदल कसलसी ग्राम पंचायत को **नगर नगल** के रूप में पुनरवर्गीकृत कयल जालतल है, तो उससे संबधतल सभी जॉब कार्ड हटा दयल जालते हैं ।
 - अन्य वैध कारण: मनरेगा **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)** में "डुपलीकेट आवेदक", "फेक आवेदक" और "काम करने के लयल इच्छुक नहीं" जैसे कारण सूचीबद्ध हैं ।
- ABPS की भूमकल:** वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा जॉब कार्ड वलयपन में वृद्धल अनवलरय **आधार-आधारतल भुगतान प्रणाली (ABPS)** के कारयानवयन के साथ हुई, जसलके तहत शर्मकलँ को अपने आधार नंबर को अपने जॉब कार्ड से जोडना आवश्यक हो गया ।
 - जनल शर्मकलँ के आधार कार्ड **लकल नहीं थे या गलत तरलके से लकल थे**, उनके जॉब कार्ड नरलस्त कर दयल गए ।
- वलयपन की उच्चतल प्रकरयल:** वलयपन के लयल प्रस्तावतल शर्मकलँ की **सुनवाई** दो स्वतंत्र वयक्तयलँ की उपस्थतल में की जानल चाहयल, **हटाने के कारणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टल की जानल चाहयल**, कारयवाही का **दस्तावेज़ीकरण कयल जानल चाहयल**, तथा पारदरशतल के लयल रपलरट ग्राम सभा या वारड सभा के साथ साझा की जानल चाहयल ।

नोट: एबीपीएस एक भुगतान प्रणाली है जो सरकारी सबसडलँ और लाभों को लाभारथयलँ के आधार से जुडे बैंक खालों में इलेक्ट्रॉनकल रूप से भेजने के लयल आधार संखयल का उपयोग करतल है ।

मनरेगा जॉब कार्डों के नरलस्त के कयल परणलम हॉगे?

- कारय करने के अधिकार का उल्लंघन:** "कारय करने के इच्छुक नहीं होने" के आधार पर जॉब कार्ड से शर्मकलँ के नाम हटाना, शर्मकलँ के कारय करने के उसके वधकल अधिकार से वंचतल करना है ।
 - जनल शर्मकलँ पर "कारय करने के लयल तैयार नहीं" के रूप में चहनतल कयल गया था, उनमें से कई ने वास्तव में अपने हटलए जाने के वततलय

वर्ष में काम किया था या काम के लिये अनुरोध किया था।

- असंगत प्रक्रिया: केवल कुछ श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाने के लिये प्रयुक्त किया गया आधिकारिक कारण "ग्रामीण शहरी बन जाता है" अधिनियम की इस शर्त का खंडन करता है कि शहरी क्षेत्र में सभी जॉब कार्ड हटा दिए जाने चाहिये।
 - नाम हटाने में अक्सर ग्राम सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, जो अधिनियम का उल्लंघन है तथा कई श्रमिकों को उनकी जानकारी के बिना गलत तरीके से नाम हटा दिए जाते हैं।
- सत्यापन का अभाव: कई श्रमिक गलत तरीके से नाम हटाए जाने के शिकार हुए, जब हटाए जाने के कारणों की वैधता का आकलन करने के लिये किसी सत्यापन या विश्लेषण के बिना ही उनका नाम हटा दिया गया।
 - यद्यपि नाम हटाने की प्रक्रिया एमआईएस में दर्ज की जाती है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नाम हटाने के कारणों, जिनमें 'कार्य करने के लिये तैयार नहीं होना' का कारण भी शामिल है, का कोई सत्यापन और विश्लेषण नहीं किया है।
- वंचित समुदाय पर प्रभाव: "कार्य करने के लिये तैयार नहीं होने" जैसे कारणों से श्रमिकों को हटाना, विशेष रूप से उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दरों के मद्देनजर, प्रत्यक्ष तौर पर उनके आजीविका के अवसरों को कम करता है।
- डेटा-संचालित चिंताएँ: डेटा से ज्ञात होता है कि विलोपन में वृद्धि एबीपीएस पर बढ़ते फोकस के साथ संरेखित है, जो यह दर्शाता है कि विलोपन वास्तविक कारणों के बजाय अनुपालन प्रोत्साहनों से प्रेरित हो सकता है।

मनरेगा योजना क्या है?

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया ताकि मनरेगा योजना के तहत रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की जा सके।
- उद्देश्य: अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिवित्तीय वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है।
- पात्रता:
 - लक्षित समूह: रोजगार की आवश्यकता वाले सभी ग्रामीण परिवार जो शारीरिक, अकुशल कार्य करने के लिये तैयार हों।
 - पंजीकरण: आवेदक अपना आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा परिवारों को पंजीकृत करने के साथ सत्यापन के बाद जॉब कार्ड जारी किया जाता है।
 - प्राथमिकता: वेतन चाहने वालों में कम से कम एक तहई महिलाएँ होनी चाहिये।
 - रोजगार की शर्तें: रोजगार कम से कम 14 दिनों तक लगातार चलना चाहिये तथा प्रति सप्ताह अधिकतम छह कार्यदिवस होने चाहिये।
- रोजगार प्रावधान:
 - रोजगार समयसीमा: ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन के 15 दिनों के अंदर आवेदक के गाँव के 5 किलोमीटर की सीमा में कार्य उपलब्ध कराना होता है।
 - 5 किलोमीटर की सीमा के बाहर कार्य प्रदान करने की स्थिति में परिवहन तथा अन्य लागत हेतु 10% अतिरिक्त वेतन का प्रावधान है।
 - बेरोजगारी भत्ता: यदि 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है जो प्रथम 30 दिनों के लिये मजदूरी दर का एक-चौथाई तथा शेष के लिये कम से कम आधा होता है।
- अनुमेय कार्य:
 - जल एवं भूमि विकास: संरक्षण एवं संचयन।
 - वनरोपण एवं सूखा निवारण: वृक्षरोपण।
 - सचिवाई एवं कृषि अवसंरचना: नहरें, तालाब और सचिवाई।
 - ग्रामीण संपर्कता: सड़कें एवं पुलिया।
 - स्वच्छता एवं स्वास्थ्य: शौचालय तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
 - ग्रामीण बुनियादी ढाँचा: सामुदायिक केंद्र एवं भंडारण केंद्र।
 - रोजगार से संबंधित परियोजनाएँ: खाद बनाना, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन।
- प्रतिबंध: ठेकेदारों एवं श्रमिक-वसिस्थापन मशीनों का उपयोग नषिद्ध है।
- मनरेगा और सतत विकास लक्ष्य:

आगे की राह

- सत्यापन की प्रक्रियाएँ: मनमाने ढंग से नाम हटाने की घटनाओं को कम करने तथा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयन में मनरेगा अधिनियम, 2005 तथा मास्टर सर्कुलर प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
- लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण: नरिंतरता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में समय-समय पर रिकॉर्ड में हेरफेर एवं जॉब कार्ड के नरिस्त होने के कारणों की लेखापरीक्षा करने हेतु स्वतंत्र निकायों या तीसरे पक्ष की एजेंसियों की स्थापना करनी चाहिये।
- शिकायत निवारण: श्रमिकों को शिकायत दर्ज करने और गलत तरीके से हटाए गए नामों के लिये निवारण की मांग करने हेतु एक स्पष्ट और कुशल प्रक्रिया प्रदान करने हेतु प्रणालियों का नरिमाण या सुदृढीकरण करना।
- ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना: यह सुनिश्चित करना कि सभी विलोपनों की समीक्षा की जाए और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाए, जैसा कि मनरेगा अधिनियम, 2005 में अनिवार्य किया गया है।
- MIS को उन्नत करना: जॉब कार्ड को सटीक रूप से ट्रैक करने और रिकॉर्ड करने के लिये MIS को बेहतर नगरानी के लिये वास्तविक समय

अधिसूचना एवं सख्त रपौरटगि सुवधियों के साथ उन्नत बनाना ।

- समय पर हस्तकषेप और सुधारात्मक कार्रवाई के लिये **जॉब कार्ड को नरिसूत करने** की प्रवृत्तियों और अनयिमतिताओं का पता लगाने के लिये डेटा वशिलेषण का उपयोग करना ।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: मनरेगा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ बनाकर मनमाने ढंग से कार्ड को नरिसूत करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में नमिनलखिति में से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ है? (2017)

1. सकल घरेलू उत्पाद में कृषकी हसिसेदारी में भारी वृद्धि हुई ।
2. वशिव व्यापार में भारत के नरियात का हसिसा बढ़ा ।
3. FDI प्रवाह बढ़ा ।
4. भारत के वदिशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई ।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजातके परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (D) कसिं भी घर के वयस्क सदस्य ।

उत्तर: (D)

??????:

प्रश्न: "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबति नहीं हुई है ।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजएि तथा स्थिति में सुधार के लिये अपने वचिर प्रस्तुत कीजयि । (2017)

प्रश्न: क्या कमजोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षति करने के द्वारा, उनकी उन्नतके लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहषिकृत कर देती हैं ? (2014)